REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072025-264742 CG-DL-E-17072025-264742

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं.511]नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 16, 2025/आषाढ़ 25, 1947No.511]NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 16, 2025/ASHADHA 25, 1947

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 2025

पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018(पी-3264):—"पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 का 19) की धारा 11 के खंड (जी) के साथ पठित धारा 61 की उप-धारा (2) के खंड (जी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड, अपने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में आगे संशोधित करने हेतु एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थातु: -

1. लघु शीर्षक और प्रारंभ

(1) इन विनियमों को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) संशोधन विनियम, 2025 कहा जाएगा।

- (2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से प्रवृत होंगे।
- 2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क एवं अन्य प्रभार उगाही) विनियम, 2007 में:-
 - (क) विनियम 3 में दी गई तालिका में, क्रम संख्या 12 और 13 तथा टिप्पण को निम्नलिखित के रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा:

4749GI/2025

12	क) किसी अन्य इकाई के पक्ष में प्राधिकार के अस्वीकरण के लिए आवेदन; (या) (संदर्भ संख्या 2)	20,00,000 जीए/पाइपलाइन
	ख) बहुसंख्यक इक्विटी शेयरधारिता/हिस्सेदारी (कम से कम 51%) से जुड़े प्राधिकरण के हस्तांतरण के लिए आवेदन; (या) (संदर्भ संख्या 2)	
	ग) इकाई द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को प्राधिकार हस्तांतरण के लिए आवेदन (संदर्भ संख्या 2); (या)	
	घ) पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी द्वारा अपनी मूल कंपनी को प्राधिकरण का हस्तांतरण (संदर्भ संख्या 2)	
13	51% से कम इक्विटी शेयरधारिता/हिस्सेदारी के हस्तांतरण के लिए आवेदन (संदर्भ संख्या 3)	10,00,000 प्रति जीए /पाइपलाइन

टिप्पणी:-

- क्रम संख्या 12 और 13 के लिए आवेदन पीएनजीआरबी (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम 2008; पीएनजीआरबी (प्राकृतिक गैस पाइपलाइन बिछाने, निर्माण, संचालित करने या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008; पीएनजीआरबी (पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन को बिछाने, निर्माण, संचालित या विस्तारित करने के लिए संस्थाओं को प्राधिकृत करना) विनियम, 2010, के प्रावधानों के अनुसार प्रस्तुत किए जाएं, यथा लागू।
- 2. यदि कोई इकाई धारा 12 में निर्धारित श्रेणियों में से किसी एक के तहत कई जी.ए. या पाइपलाइनों के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करती है, तो प्रत्येक अनुवर्ती जी.ए. या पाइपलाइन के लिए 20,00,000 रुपये तथा 25% अतिरिक्त देय होगा।
- 3. यदि कोई इकाई धारा 13 में उल्लिखित 51% से कम इक्विटी शेयरधारिता/हिस्सेदारी के हस्तांतरण के लिए एकल आवेदन प्रस्तुत करती है, तो प्रत्येक अनुवर्ती जी.ए. या पाइपलाइन के लिए 10,00,000 रुपये तथा 25% की अतिरिक्त राशि देय होगी।
- 4. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड कंपनी में या पब्लिक लिमिटेड कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में रूपान्तरित करने के मामले में साथ- ही-साथ कंपनी अधिनियम या किसी अन्य वैधानिक अनुपालन के तहत शेयरधारिता में आवश्यक किसी भी परिवर्तन के लिए- ₹ 10,00,000/- प्रति अनुपालन फीस का भुगतान करना होगा।

अंजन कुमार मिश्रा, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./244/2025-26]

पाद टिप्पणी: मुख्य विनियमन अधिसूचित किए गए:

- प्रमुख विनियम, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही) विनियम, 2007, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 26 नवंबर, 2007 को जी.एस.आर. 732(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही) संशोधन विनियम, 2010, भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3(i) में दिनांक 7 जून, 2010 को जी.एस.आर. 477(ई) के तहत प्रकाशित किए गए थे।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही) संशोधन विनियम, 2013, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 21 जून, 2013 को फा. सं. विधि/50/2013 के तहत प्रकाशित किए गए।
- 4. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन विनियम, 2018, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 8 जनवरी 2019 को फा. संख्या पीएनजीआरबी/एफएंडसी/संशोधन पीएनजीआरबी विनियम के तहत प्रकाशित किए गए।

2

- 5. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही) संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में दिनांक 14 मई, 2020 को फा. सं. पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018 के तहत प्रकाशित किए गए।
- 6. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभारों की उगाही) दूसरा संशोधन विनियम, 2020, भारत के राजपत्र, भाग- III, धारा 4 में दिनांक 29 सितंबर, 2020 को फा. संख्या पीएनजीआरबी/वित्त /8-ओसी(1)/2018(पी-836) के तहत प्रकाशित किए गए।
- पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन विनियम, 2021, भारत के राजपत्र, भाग- III, खंड 4 में दिनांक 8 सितंबर, 2021 को संख्या पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(2)/2018(पी-3270) के तहत प्रकाशित किए गए।
- 8. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (शुल्क और अन्य प्रभार लगाना) संशोधन विनियम, 2022, भारत के राजपत्र, भाग- III, धारा 4 में दिनांक 2 अगस्त, 2022 को संख्या पीएनजीआरबी/वित्त/8-ओसी(1)/2018(पी-3264) के तहत प्रकाशित किए गए।

PETROLEUM AND NATURAL GAS REGULATORY BOARD

NOTIFICATION

New Delhi, 14th July, 2025

PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018 (P-3264):—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (2) of section 61 read with clause (g) of section 11 of the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board Act, 2006 (19 of 2006), the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board hereby makes the following regulations, further to amend the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, namely: -

1. Short title and commencement:

- (1) These regulations may be called the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2025.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007:-
 - (a) in regulation 3, in table, S. No. 12, S. No. 13 and Note, shall be substituted as under:

12	a) Application for renunciation of authorization in favour of another entity; (or) (Refer No. 2)	Rs. 20,00,000 per GA/ Pipeline
	b) Application for transfer of authorization involving transfer of majority equity shareholding/ stake (at least 51%); (or) (Refer No. 2)	
	c) Application for transfer of authorisation by the entity to its wholly owned subsidiary company (Refer No. 2); (or)	
	d) Transfer of authorisation by the wholly owned subsidiary company to its parent company (Refer No. 2).	
13	Application for transfer of less than 51% equity shareholding/ stake (Refer No. 3)	Rs. 10,00,000 per GA / Pipeline
Note		-

Note:

- 1. Applications for S. No. 12 and 13 shall be submitted as per provisions of PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand City or Local Natural Gas Distribution Networks) Regulations 2008; PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Natural Gas Pipelines) Regulations, 2008; PNGRB (Authorizing Entities to Lay, Build, Operate or Expand Petroleum and Petroleum Products Pipelines) Regulations, 2010, as applicable.
- 2. Where an entity submits a single application for multiple GAs or pipelines, under one of the categories prescribed

at S.12, then Rs. 20,00,000 for the first GA or pipeline plus additional amount of 25% per each subsequent GA or pipeline.

- 3. Where an entity submits a single application for transfer of less than 51% equity shareholding/stake as mentioned at S.13, then Rs. 10,00,000 for the first GA or pipeline plus additional amount of 25% per each subsequent GA or pipeline.
- 4. In case of conversion of a private limited company to a public limited company or vice versa, as well as for any change in shareholding required under the Companies Act or any other statutory requirement Rs. 10,00,000 per instance

ANJAN KUMAR MISHRA, Secy. [ADVT.-III/4/Exty./244/2025-26]

Foot Note:

- The principal regulations, Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Regulations, 2007, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i), on 26th November, 2007, vide G.S.R. 732(E).
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2010, was published in Gazette of India, Part II, Sec. 3(i), on 7th June, 2010, vide G.S.R. 477(E).
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2013, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 21st June, 2013, vide F. No. Legal/50/2013.
- 4. The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2018, was published in Gazette of India, Part III, Sec. 4, on 8th January 2019, vide F. No. PNGRB/F&C/Amendment PNGRB Regulations.
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part III, Sec.4, on 14th May, 2020, vide F. No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018.
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Second Amendment Regulations, 2020, was published in Gazette of India, Part-III, Sec.4, on 29th September, 2020, vide F. No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-836).
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2021, was published in Gazette of India, Part-III, Sec.4, on 8th September, 2021, vide No. PNGRB/Fin/8-OC(2)/2018(P-3270).
- The Petroleum and Natural Gas Regulatory Board (Levy of Fee and Other Charges) Amendment Regulations, 2022, was published in Gazette of India, Part-III, Sec.4, on 2nd August, 2022, vide No. PNGRB/Fin/8-OC(1)/2018(P-3264).